ऑन लाईन नं. RCMS 2015/00042

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टबर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 30/2015

1. छिन्ना राम पुत्र श्री आसीया जाति नायक निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मोहन लाल पुत्र श्री ईसर राम पुत्र श्रीगंगाराम जाति नायक निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. बाली पुत्री गंगाराम पुत्र पोखराम पत्नी गोपीराम जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. नायब तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।
3. शान्ति पत्नी मांगी लाल पुत्र चांदीया जाति नायक साकिन भागसर तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।
4. राकेश पुत्र मांगीलाल जाति नायक साकिन भागसर तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।
5. सुरेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति नायक साकिन भागसर तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।
6. हंसराज पुत्र मांगीलाल जाति नायक साकिन भागसर तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।
7. कलावती पुत्री आसीया पुत्र गंगाराम जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. कालुराम पुत्र राधादेवी पुत्री आसीया पुत्र गंगाराम जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. उग्रसेन पुत्र राधा पुत्री आसीया पुत्र गंगाराम जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. मीरा बेवा आसीया जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. सतपाल पुत्र श्री रामप्यारी पुत्री गंगाराम जाति नायक साकिन 4 डी. बड़ी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. ओमी पुत्र श्री रामप्यारी पुत्री गंगाराम जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. किशनी बेवा चांदीया पुत्री गंगाराम जाति नायक साकिन मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. रेशमा बेवा ईसर राम पुत्री गंगाराम जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. श्याम लाल पुत्र ईसर राम पुत्र गंगाराम जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

16. कृष्णलाल पुत्र श्री रामस्वरूप पुत्र ईसर राम पुत्र गंगाराम जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
17. सावित्री बेवा रामस्वरूप पुत्र ईसर राम पुत्र गंगाराम जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. रोशनी पुत्री रामस्वरूप पुत्र ईसर राम पुत्र गंगाराम जाति नायक साकिन कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट का दिनांक 07.02.2013 का ईन्तकाल संख्या 387 जिसकी रूह से बाली के नाम तस्दीक किया गया बमुराद मन्सूख है।

उपस्थित :

1.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री पृथ्वीराज शर्मा अधिवक्ता

:: आदेश :: दिनांक :–29.11.2024

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के दादा गंगाराम पुत्र श्री पोकर राम को भारत सरकार द्वारा चक 4 जी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 51 में 25 बीघा रकबा अलाट किया गया था। वरवक्त अलाटमेन्ट में गंगाराम खुद, केसरी पत्नी, ईशर पुत्र, आसीया पुत्र , किशन पुत्र, चांदीया पुत्र, रामप्यारी पुत्री, बाली पुत्री , उपरोक्त 8 जीवों के आधार पर रकबा आवंटन किया गया। रेस्पोडेण्टान संख्या 1 की शादी अपीलांट के दादा से कर दी थी वह अपने परिवार में खुश थी तथा उसने अपना हिस्सा की दस्तबरदारी अपने भाई आशा, मोहन लाल, रामस्वरूप पिसरान ईसर राम , मांगीराम, मांगीराम, मंगला, लालचन्द पिसरान चन्दूराम के नाम दिनांक 19.03.1998 को कर दी थी जिस पर दिनांक 04.05.1998 को अपने हक छोंड़ दिया तथा तहसीलदार केसमक्ष ब्यान लिये गये थे, उसका हिस्सा जमाबदी से हटाया गया था, अब इस रकबा की खातेदारी सनद जारी होने पर रेस्पोडेण्टान का नाम ईन्तकाल दर्ज किया गया है। रेस्पोडेण्टान संख्या 1 ने एक वाद उपजिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 24.05.2015 को अपीलांट को सम्मन मिला तो अपीलांट के पास तामिल लेकर आया तो अपीलांट को पता चला कि रेस्पोडेण्टान संख्या 1 का नाम ईन्तकाल दर्ज किया गया है जबकि उसने पूर्व में अपना हिस्सा छोड़ दिया है। पता चलते ही नकल की दरखवास्त दी आज रोज नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है जो निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर पेश है:–

1. यह कि हुकमस अदालत मातहत का गैर कानूनी है वह दोबारा गोर मिसल के है। नकल फैसला शामिल अपील हाजा है।
2. यह कि अपीलांट के दादा गंगू राम पुत्र पोखर राम को बतौर ना कलेममेनट पर चक 4 जी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 51 में 25 बीघा रकबा अलाट हुआ है तथा बाली ने अपना हिस्सा दिनांक 19.03.1998 को तर्क कर दिया गया है, इसलिए दोबारा ईन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता था

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने पर गोर नहीं किया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

3. यह कि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया जबकि जमीन का कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा है। अपीलांट को बिना सुने ही आदेश पारित किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जब अपना हिस्सा तर्क पूर्व में ही कर दिया तो अब उसका इस जमीन में कोई अधिकार हक नहीं बनता है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
5. यह कि अन्य वजूवाद वरवक्त बहस पेश किये जावेगें।
6. यह कि अपील जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है।
7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया अब बली द्वारा एक वाद उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका नोटिस दिनांक 19.05.2015 को मिला जिस पर अपीलांट यहां आकर पता किया तो पता चला कि उसका नाम जमाबन्दी में आने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांट ने नकल की दरखवास्त दी , नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है, जो ईल्म से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील पेश कर अर्ज है कि अपील स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 07.02.2013 को इस हद तक निरस्त किया जावें कि बाली का नाम दर्ज किया गया है उसका नाम हटाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के दादा गंगाराम पुत्र श्री पोकर राम को भारत सरकार द्वारा चक 4 जी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 51 में 25 बीघा रकबा अलाट हुआ था। वरवक्त अलाटमेन्ट में गंगाराम खुद, केसरी पत्नी, ईशर पुत्र, आसीया पुत्र , किशन पुत्र, चांदीया पुत्र, रामप्यारी पुत्री, बाली पुत्री , उपरोक्त 8 जीवों के आधार पर रकबा आवंटन हुआ था। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की शादी अपीलांट के दादा से होने पर उसने अपना हिस्सा की दस्तबरदारी अपने भाई आशा, मोहन लाल, रामस्वरूप पिसरान ईसर राम , मांगीराम, मांगीराम, मंगला, लालचन्द पिसरान चन्दूराम के नाम दिनांक 19.03.1998 को कर दिया था जिस पर दिनांक 04.05.1998 को अपने हक छोंड़ दिया तथा तहसीलदार के समक्ष ब्यान लिये गये एवं उसका हिस्सा जमाबदी से हटाया गया था, अब उक्त रकबा की खातेदारी सनद जारी होने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का नाम ईन्तकाल दर्ज किया गया है जबकि उसने पूर्व में अपना हिस्सा छोड़ दिया था। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने पर गोर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा इन्तकाल संख्या 387 दिनांक 07.02.

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

2013 का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया जबकि जमीन का कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा है। अपीलांट को बिना सुने ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित इंतकाल संख्या 387 दिनांक 07.02.2013 उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद 311 दिनांक 07.02.2013 के आधार पर दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद 311 दिनांक 07.02.2013 की पालना में दर्ज किया गया जिसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भी माननीय न्यायालय का नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना में इन्तकाल दर्ज किया गया है न कि स्वयं के स्तर पर। अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि विवादित इंतकाल संख्या 387 दिनांक 07.02.2013 उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद 311 दिनांक 07.02.2013 के आधार पर दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद 311 दिनांक 07.02.2013 की पालना में दर्ज किया, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा इन्तकाल संख्या 387 दिनांक 07.02.2013 जो स्वीकृत किया गया वह विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है क्योंकि नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद 311 दिनांक 07.02.2013 की पालना में इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर